रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 306] नई दिल्ली, बुधवार, जून 1, 1988/ज्येष्ठ 11, 1910
No. 306] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 1, 1988/JYAISTHA 11, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

नई दिल्ली, 1 जून, 1988

अधिसूचना

सा. का. नि. 668(अ) :— केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुरगांव मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में मुरगांव पोर्ट कर्मचारी (आचरण) (संशोधन) विनियम, 1988 का अनुमोदन करती है।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. पी. आर. 12013/7/88-पी. ई. 1]

योगेन्द्र नारायण, संयुक्त सचिव

अनुसूची

मुरगांव पत्तन कर्मचारी (आचरण) विनियम, 1964 में संशोधन।

प्रमुख पत्तन न्यास अधिनियम (1963 का 38) की 124 (1) और (2) के साथ पठित धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुरगांव पत्तन न्यास का न्यासी मंडल मुरगांव पत्तन कर्मचारी (आचरण) विनियम, 1964 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है।

1. (1) इन विनियमों को मुरगांव पत्तन कर्मचारी (आचरण) (संशोधन) विनियम, 1988 कहा जाएगा।

2. विनियम-4 में संशोधन :

मु. प. क. (आचरण) विनियम, 1964 के विनियम-4 के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाए.

4(1) कोई भी कर्मचारी किसी भी विधान सभा अथवा स्थानीय प्राधिकार के चुनाव में भाग नहीं लेगा।

परन्तु यह कि·

(1) इस प्रकार के चुनाव में मतदान का अधिकार रखने वाला कर्मचारी, अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग कर सकता है, किन्तु जब वह ऐसा करता है, तो वह इसकी सूचना नहीं देगा कि वह किस प्रकार मतदान करेगा अथवा मतदान किया है,

(2) कर्मचारी द्वारा इस विनियम के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया माना जाएगा। यदि उस पर लगाई ड्यूटी अथवा फिलहाल प्रभावी किसी विधि के अधीन अपनी ड्यूटी को पूरा करने के लिए चुनाव के आयोजन मे सहायता करता है।

2 कोई भी कर्मचारी किसी भी प्रदर्शन के काम मे लगा नहीं रहेगा अथवा प्रदर्शन मे भाग नही लेगा जो भारत की प्रभुसत्ता और अखंडता, राष्ट्र की सुरक्षा, विदेशी राष्ट्रों के साथ तथा अच्छे संबंधों मे हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो अथवा जिसमे न्यायालय का अवमान होता है, मानहानि होती हो अथवा अपराध को उत्तेजना होती हो।

3 कोई भी कर्मचारी किसी ऐसे एसोसिएशन मे दाखिला नही लेगा अथवा इसका सदस्य बना रहेगा, जिसके उद्देश्य और कार्यकलापों मे भारत की प्रभुसत्ता और अखंडता, अथवा सार्वजनिक व्यवस्था अथवा नैतिकता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

New Delhi, the 1st June, 1988

NOTIFICATION

G.S.R. 668(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 124, read with sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trust Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Mormugao Port Employees' (Conduct) (Amendment) Regulations, 1988 made by the Board of Trustees for the Port of Mormugao and set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. PR-12013|7|88-PE. I]

YOGEDRA NARAIN, Jt. Secy.

SCHEDULE

Amendment to Mormugao Port Employees' (Conduct) Regulations 1964

In exercise of the powers conferred by section 28 read with section 124(1) and (2) of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of the Mormugao Port Trust hereby makes the following regulations further to amend the Mormugao Port Employees (Conduct) Regulations, 1964.

1. (i) These regulations may be called the Mormugao Port Employees' (Conduct) (Amendment) Regulations, 1988.

2. The existing regulation 4 of the M.P.E. (Conduct) Regulations 1964 shall be substituted as follows :—

4(1) No employee shall take part in election to any legislature or local authority ;

Provided that :

(i) An employee qualified to vote at such election may exercise his right to vote but where he does so, he shall give no indication of the manner in which he proposed to vote or has voted ;

(ii) An employee shall not be deemed to have contravened the provisions of this regulation by reason only that he assists in the conduct of an election in the due performance of a duty imposed on him or under any law for time being in force.

(2) No employee shall engage himself or participate in any demonstration which is prejudicial to the interest of the sovereignty and integrity of India, the security of the State, friendly relations with foreign states, Public order, decency or morality, or which involves contempt of court, defamation or incitement to an offence.

(3) No employee shall join, or continue to be a member of, an association the objects or activities of which are prejudicial to the interests of the soverignty and integrity of India, or public order or morality.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1988